नाम - डा॰ प्रदीप कुमार राय (एसो॰ प्रोफेसर, रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम)
विषय - राजनीति शास्त्र विभाग
वर्ग - बी॰ ए॰ (प्रतिष्ठा) पार्ट - 02
पेपर - 04
दिनांक - 06.07.2020
भाग - 01

टॉपिक - महासभा - संगठन

संगठन -

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में महासभा सर्वाधिक वृहत एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे इसकी व्यवस्थापिका भी कहा जाता है तथा विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। विश्व सरकार की व्यवस्थापिका के रूप में यह मानव समाज की चेतना का केन्द्र है। आइकेलबर्गर ने इसे विश्व का अन्तःकरण कहा है। यह मानव पार्लियामेंट के रूप से भी संबोधित किया जाता है।

सं॰ राष्ट्र संघ के समस्त सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार प्राप्त है। इसका अधिवेशन साधारणतः वर्ष में एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का अधिकार इसे प्राप्त है।

प्रतिनिधित्व — महासभा में सं॰ राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक राष्ट्र अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है प्रतिनिधि वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं किन्तु कोई भी राष्ट्र एक ही वोट दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या से यह स्पष्ट है कि यह एक सार्वदेशिक संगठन के रूप में है।

मतदान प्रक्रिया - चार्टर के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत ही निर्धारित है चाहे उसकी क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि बड़ा हो या छोटा। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करनेवाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से तथा अन्य प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित एवं मतदान करनेवाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाने की व्यवस्था की गई है। महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में, (i) अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के विषय में सिफारिशें (ii) सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, (iii) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन (iv) चार्टर के अनु॰ 86 के खंड (ग) के अनुसार न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन (v) सं॰ रा॰ संघ में नवीन सदस्यों का प्रवेश, (vi) सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का निलंबन,

(VII) सदस्यों का निष्कासन (viii) न्यासपरिषद् के परिचालन संबंधी प्रश्न,
(ix) अन्य संबंधी प्रश्न आदि।

अधिवेशन - महासभा का अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और प्रायः दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में महासभा ये अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और अपनी 6 मुख्य समितियों के सभापति (चेयरमैन) निर्वाचित करती है। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूहों - अफ्रीकी, एशियाई, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमरीकी और पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य राज्यों में बारी-बारी से दी जाती है। विशेष अधिवेशन बुलाने की भी व्यवस्था है। ऐसे अधिवेशन सुरक्षा परिषद् अथवा सदस्य राष्ट्रों के बहुमत द्वारा अनुरोध किये जाने पर महासचिव द्वारा बुलाये जाने की व्यवस्था है। महासभा अपनी प्रक्रिया के नियमों को स्वतः अंगीकार करती है। प्रत्येक अधिवेशन के लिये अपना सभापति निर्वाचित करती है जो महासभा की कार्यवाही का संचालन करता है।

(2) ब